मौर्य शासक अशोक का धम्म एवं उसकी प्रासंगिकता

डा0 राजेश कुमार केसरी
असिस्टेन्ट प्रोफेसर, प्राचीन इतिहास,
श्री महन्थ रामाश्रय दास स्नातकोत्तर महाविद्यालय भुड़कुड़ा, गाजीपुर

प्राचीन भारत के इतिहास में मौर्य राजवंश का अपना विशिष्ट महत्व है। मौर्य राजवंश के शासन काल में न केवल राजनीतिक रूप से अपितु सांस्कृतिक रूप से भी भारतीय इतिहास का वृहत्तर स्वरूप प्रतिबिम्बित होता है। मौर्य राजवंश के शासकों ने एक अखिल भारतीय स्वरूप को प्रतिष्ठापित किया। इस अखिल भारतीय स्वरूप का दिग्दर्शन हमें मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में स्पष्ट रुप से दिखलाई पड़ता है। मौर्य शासक अशोक के शासन काल में भारतीय संस्कृति का उदात्त एवं आदर्शात्मक स्वरूप प्रदर्शित होता है। भारतीय संस्कृति के इस आदर्शात्मक स्वरूप की विवेचना उसके द्वारा जारी किये गये अभिलेखों में वर्णित धम्म के स्वरूप के सम्बन्ध में की जा सकती है।

अशोक के अभिलेखों में धम्म के स्वरुप की जैसी विवेचना प्रस्तुत की गई है। वास्तव में वह किसी धर्म अथवा सम्प्रदाय विशेष से सम्बन्धित न होकर नैतिक निष्ठा, आदर या सदाचरण से सम्बन्धित प्रतीत होता है और ये तत्व किसी धर्म अथवा सम्प्रदाय की व्यक्तिगत पूंजी न होकर विश्व के सभी धर्मों का सार प्रतीत होते हैं। अशोक के अभिलेखों में धम्म की चर्चा एक आचरण प्रधान जीवन दर्शन के रूप में की गई है। अशोक के अभिलेखों में वर्णित धम्म मनुष्य के नैतिक आचार व्यवहार से सम्बन्धित है। इसके माध्यम से यह बतलाने का प्रयास किया गया है कि मनुष्य को विभिन्न प्राणियों के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए और राजा को अपनी प्रजा के प्रति कैसा दृष्टिकोण रखना चाहिए।

अपने द्वितीय स्तम्भ लेख में मौर्य शासक अशोक स्पष्ट रूप से धम्म को परिभाषित करते हुए स्वयं से प्रश्न करता है कि ''कियं चु धम्मे?'' अर्थात ''धम्म क्या है?'' और इसका उत्तर भी वह स्वंय देता है ''अपासिनवे बहुकयाने दया दाने सचे सोचये मादवे साधवे च।''[1] अर्थात अल्पपाप, बहुकल्याण, दया, दान, सत्य और शुचिता- यही धम्म है।[2]

वस्तुतः अशोक द्वारा दी गई धम्म की यह परिभाषा उसके व्यापक और कल्याणकारी स्वरूप को प्रदर्शित करते हुए आत्मनियंत्रण पर भी बल देता है और संभवतः विश्व का ऐसा कोई धर्म नहीं है जिसमें इन मूलभूत तत्वों का अभाव पाया जाता हो।

प्रायः विश्व के सभी धर्मों में सदाचरण और नैतिक आदर्शों के सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है किन्तु अशोक के अभिलेखों में इनका व्यावहारिक स्वरूप प्रदर्शित होता है।

इस व्यावहारिक स्वरूप के अन्तर्गत कुछ प्रमुख मानवीय मूल्यों का उल्लेख किया जा सकता है, जिन्हें सिद्धान्तों से आबद्ध नहीं किया जा सकता। अशोक के अभिलेखों में वर्णित इन मानवीय मूल्यों के अन्तर्गत माता-पिता, गुरु तथा स्थविरों (बुजुर्गों) की सेवा-सुश्रुषा पर अत्यधिक बल दिया गया है। इसी प्रकार दासों और सेवकों से अच्छा व्यवहार भी उसके धम्म का महत्वपूर्ण अंग था। सामाजिक शान्ति के लिए उसने मित्रों, परिचितों, सजातीयों एवं अपने कुल वालों से यथोचित व्यवहार करने की आवश्यकता बताई है।[3] इसके अतिरिक्त उसके धम्म में व्यक्तिगत गुणों के विकास को भी आवश्यक माना गया है जिसके अन्तर्गत सत्यभाषण, दया, दानशीलता, शुचिता, अल्पव्यय तथा अल्पसंग्रह की प्रवृत्ति, संयम, भावशुद्धि, कृतज्ञता, दृढ़भक्ति, मित्रता, उदारता, धर्मकामना, आत्मपरीक्षा तथा उत्साह आदि गुणों का उल्लेख उसके अभिलेखों में प्राप्त होता है।[4] अशोक के अभिलेखों में वर्णित इन मानवीय मूल्यों के अवलोकन के पश्चात यह कहा जा सकता है कि सदाचरण और नैतिक आदर्शों के अन्तर्गत समावेशित ये मानवीय मूल्य और कर्तव्य विश्व के किसी भी सभ्य और विकसित संस्कृति और समाज के आधारशिला के

रुप में स्थापित होते हैं। अशोक ने न केवल धम्म के इन तत्वों के व्यावहारिक स्वरुप को प्रस्तुत किया अपितु इनके परिपालन की समुचित व्यवस्था करते हुए धर्ममहामात्र नामक अधिकारियों की नियुक्ति भी की, जिसका उल्लेख उसके पंचम शिलालेख में प्राप्त होता है। इन धर्ममहामात्रों का प्रमुख कार्य समाज के सभी वर्गों और सम्प्रदायों के व्यक्तियों को धम्म के इन नैतिक मानवीय मूल्यों के प्रति जागरूक करना था।[8] अशोक अपने अभिलेखों में धम्म के नैतिक आदर्शों एवं मानवीय मूल्यों का ही उल्लेख नहीं करता अपितु वह धम्म के निषेधात्मक पक्ष की भी चर्चा करता है। अपने तृतीय स्तम्भ लेख में वह मनुष्यों से चण्डता, नैष्ठुर्य, क्रोध, मान तथा ईर्ष्या से बचने का भी आग्रह करता है। स्पष्टतः ये सभी अवगुण मनुष्य को धम्म के मार्ग से विचलित करने का कार्य करते हैं।[9] संभवत मानवीय मूल्यों की इतनी विशद् व्याख्या अशोक के अभिलेखों के अतिरिक्त अन्यत्र दुर्लभ प्रतीत होती है।

अशोक के धम्म की एक महत्वपूर्ण विशेषता उसमें निहित धार्मिक सहिष्णुता की भावना से सम्बन्धित है। धार्मिक सहिष्णुता सम्बन्धी विचार उसके सप्तम और द्वादश शिलालेख में वर्णित है। सप्तम शिलालेख में अशोक कामना करता है कि सभी सम्प्रदाय के लोग सर्वत्र निवास करें और संयम, भावशुद्वि, कृतज्ञता तथा दृढ़भक्ति बढ़े। उसके इस आदर्श की और भी सुन्दर अभिव्यक्ति द्वादश शिलालेख के माध्यम से प्रदर्शित होती है। द्वादश शिलालेख के विवरण के अनुसार अशोक ने इस बात पर बल दिया है कि वह दान और पूजा को उतना नहीं मानता जितना इस बात को कि सब सम्प्रदायों की सारवृद्धि हो। इसका मूल उसने वचोगुति अर्थात वाक्संयम को बताया है। द्वादश शिलालेख के अनुसार जो व्यक्ति अपने सम्प्रदाय के उन्नति हेतु दूसरों के सम्प्रदाय की आलोचना करता है वह अपने ही सम्प्रदाय की हानि करता है। इसलिए 'समवाय एव साधु' अर्थात मेलजोल ही शुभ है। उसने यह भी इच्छा व्यक्त की है कि सब सम्प्रदाय बहुश्रुत और कल्याणकारी सिद्धान्त वाले हों।[9] मौर्य शासक अशोक की इस विशद् धार्मिक अभिव्यक्ति की भावना के अवलोकन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि तत्कालीन समय में धार्मिक सहिष्णुता की इतनी गहन भावना विश्व में कहीं नहीं मिलती और वर्तमान समय में भी विश्व में धार्मिक सहिष्णुता और समरसता की स्थापना हेतु उसके ये विचार अत्यन्त महत्वपूर्ण और प्रासंगिक प्रतीत होते हैं।

अशोक के धम्म की एक अन्य प्रमुख विशेषता प्राणियों की अहिंसा की भावना से सम्बन्धित है। उसके प्रथम शिलालेख एवं प्रथम, द्वितीय तथा पंचम स्तम्भलेख में प्राणियों के अहिंसा सम्बन्धी विचारों का विशद् विवरण प्राप्त होता है। उसका पंचम स्तम्भलेख पशु-हत्या निषेध नीति से विशेष रुप से सम्बन्धित है और यह उसके धम्म का एक महत्वपूर्ण अंग भी है। पंचम स्तम्भलेख में वह विभिन्न पशुओं और पक्षियों को अवध्य घोषित करते हुए उनकी हिंसा का निषेध करता है साथ ही विशेष अवसरों और विशेष तिथियों पर भी पशुबलि को निषेध करने की बात कहता है।[9] निश्चित रुप से अशोक के धम्म में न केवल मनुष्यों के कल्याण और उन्नति की बात कही गयी है अपितु उसके धम्म में प्राणिजगत के अन्य जीवों के प्रति भी अहिंसा और दया की भावना सन्निहित है।

अशोक के धम्म के विषय में विभिन्न विद्वानों ने भी अपने-अपने विचार प्रस्तुत किये हैं। इस सम्बन्ध में के0 ए0 एन0 शास्त्री का विचार है कि अशोक का धर्म सामाजिक नीतिशास्त्र की एक व्यावहारिक संहिता थी, धर्म और दर्शन से उसका कोई सम्बन्ध नहीं था।[9] अशोक के धम्म के विषय में जे0 एम0 मैकफेल का विचार है कि अशोक के लेखों में धम्म का अभिप्राय बौद्ध धर्म से न होकर उस सामान्य सदाचरण से है, जिसका पालन अशोक अपनी सम्पूर्ण प्रजा से करवाना चाहता था, चाहे वह प्रजा किसी भी धर्म को मानने वाली थी।[10] इस सम्बन्ध में डी0 आर0 भण्डारकर का विचार है कि जो कोई भी अशोक के धम्म के विषयों पर विचार करता है, वह उसकी विशेषताओं की सादगी से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता। उसके धम्म को सब धर्मों की सर्वसामान्य सम्पत्ति समझा जा सकता है। वह जिन गुणों और नियमों का पालन करने के लिए कहता है, वे सब ऐसे हैं जिन्हें सभी धर्म अनुकरणीय बताते हैं।[11] मौर्य शासक अशोक के अभिलेखों में उसके द्वारा प्रतिपादित धम्म के विशद् स्वरुप के अवलोकन

के पश्चात यह कहा जा सकता है कि उसके धम्म से आचरण के ऐसे सिद्धान्त या नियम अभिप्रेत थे जिनके मूल तत्व विश्व के सभी धर्मों और सम्प्रदायों में समान रुप से सन्निहित हैं। अशोक के धम्म के सिद्धान्त विश्व के सभी समाजों और सभी व्यक्तियों के लिए समान रुप से कल्याणकारी हैं और यह किसी काल विशेष से सम्बन्धित न होकर सार्वकालिक और सार्वभौमिक प्रतीत होते हैं जो इसकी प्रमुख विशेषता भी है।

सन्दर्भ -

1. सरकार, दिनेश चन्द्र, सेलेक्ट इंस्क्रिप्सन्स बियरिंग ऑन इण्डियन हिस्ट्री एण्ड सिविलाइजेशन वाल्यूम-1, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, कलकत्ता, 1942, पृ0-56-57

2. गोयल, श्रीराम, प्राचीन भारतीय अभिलेख संग्रह खण्ड-1, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 1982, पृ0- 96-98

3. गोयल, श्रीराम, मगध-सातवाहन-कुषाण साम्राज्यों का युग, कुसुमांजलि प्रकाशन, मेरठ, पृ0- 508

4. वही, पृ0- 508

5. गोयल, श्रीराम, प्राचीन भारतीय अभिलेख संग्रह खण्ड-1, वही, पृ0- 44-46

6. गोयल, श्रीराम, मगध-सातवाहन-कुषाण साम्राज्यों का युग, वही, पृ0- 509

7. वही, पृ0- 508

8. वही, पृ0- 504-505, सरकार, दिनेश चन्द्र, वही, फिफ्थ पिलर एडिक्टः रामपुरवा वर्जन, पृ0- 62-63

9. शास्त्री, के0 ए0 एन0, एज ऑफ द नन्दाज एण्ड मौर्याज, मोतीलाल बनारसीदास , दिल्ली, 1967, पृ0-272

10. मैकफेल, जे0 एम0 , अशोक, एसोसिएशन प्रेस, कलकत्ता, 1908, पृ0- 48

11. भण्डारकर, डी0 आर0, अशोक, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, कलकत्ता, 1925, पृ0- 117

***

बेटी बचाओं-बेटी पढ़ाओं

- नेहा प्रजापति

बी.ए. प्रथम वर्ष

बेटी बचाओ - बेटी पढ़ाओ पर कम से कम
शब्दों में मेरी भाषा शैली
सरकार ने बेटी बचाओ - बेटी पढ़ाओ
परियोजना निकाली की बेटियों को
किसी पर निर्भर नहीं होना पड़े
पढ़-लिख कर अपने पैरों पर खड़ा
हो सके अपनी जिम्मेदारी
खुद उठा सके लेकिन अभी भी
कुछ लोग ऐसे है कि बेटियों को
पढ़ने-लिखने का हक नहीं देते हैं।
१२वीं के बाद उनकी शादी करा देते हैं।
अगर बेटी मना कर देती है शादी
करने को तो उसके घर वाले
समाज की दहाई देकर मजबूर करते हैं।
अरे मैं पूछती हूँ क्या हमें ये हक नहीं
है कि हम अपने जीवन के बारे में सोचे
कि क्या करें क्या ना करें अपने जीवन में,
आखिर कब बदलेगा ये समाज कब
अरे समाज क्या कहता है छोड़ो उन सबको
तुम्हारी बेटी क्या कहती है उसे सुनो विनती है।
सभी माँ-बाप से की अपने बच्चों को
समझे उनके भावनाओं को समझे?